


क्रमांक प0 10(77)नविवि/3/04

जयपुर, दिनांक 12.8.05

आदेश


शहरों के मास्टर प्लान में कई बार प्रस्तावित भू-उपयोग पर्यटन सुविधाओं/मेला स्थल दर्शाये जाते हैं लेकिन पर्यटन सुविधाओं में कौन से भू-उपयोग अनुज्ञेय होंगे, बाबत स्थिति स्पष्ट अंकित नहीं होती है। अतः प्रकरण में राज्य सरकार के स्तर पर विचार-विमर्श कर निर्णय लिया गया है कि जिन शहरों के मास्टर प्लान में प्रस्तावित भू-उपयोग मानचित्र में 'पर्यटन सुविधाओं/मेला स्थल' दर्शाया गया हो उनमें उक्त भू-उपयोग के अन्तर्गत एम्पूजमेन्ट पार्क, रिसोर्ट, कैंम्पिंग ग्राउन्ड, होटल, रेस्टोरेन्ट, आर्ट गैलरी, हेन्डीक्राफ्ट मार्केट, गोल्फ कोर्स आदि भू-उपयोग सम्मिलित होंगे।

आज्ञा से,


(सी०एस० बेनीवाल) 05
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राज0 जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राज0 जयपुर।
3. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राज0 जयपुर को उनके यू०ओ० नोट संख्या प0 7(ड)भूमि/स्थानी./04/20224 दिनांक 25.11.04 के संदर्भ में प्रेषित है।
4. मुख्य नगर नियोजक राज0 जयपुर को उनके पत्र क्रमांक प0 टीपीआर/1120/जनरल/03/12072 दिनांक 16.12.04
5. सचिव, नगर सुधार न्यास समस्त।
6. वरिष्ठ नगर नियोजक कार्यालय, जोन अजमेर/जोधपुर/कोटा/बीकानेर /उदयपुर।
7. उप नगर नियोजक अलवर/भरतपुर।
8. रक्षित पत्रावली।


शासन उप सचिव